न्यायालय भूमि उप समाहर्ता ,बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या – 82/10–11

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46

आदेश

विक्रेता का नाम एवं पता – अर्जुन मुण्डा , पिता–स्व0 सोहराई मुण्डा
ग्राम–बुण्डू , थाना–बुण्डू ,राँची।

क्रेता का नाम एवं पता – अनिता नाग ,पति–श्री मान सिंह मुण्डा
ग्राम–पतराटोली (ताऊ) ,पोस्ट–बुण्डू ,थाना–बुण्डू ,राँची।

विद्वान अधिवक्ता का नाम – श्री गिरीश महतो।

विक्रेता ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 07/10/2010 को क्रेता अनिता नाग ,पति–श्री मान सिंह मुण्डा के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री की अनुमति माँगी हैं ।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना	थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
ताऊ	बुण्डू	28	67	1628	0.50 ए0

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी ,बुण्डू से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम इस्तेहार भी निर्गत किया गया ।

अंचल अधिकारी ,बुण्डू के पत्रांक–77(ii) दिनांक–26/02/11 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हैं। (अभिलेख के साथ संलग्न) जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट हैं किः–

(क) प्रस्तावित भूमि सर्वे खतियान के अनुसार रैयती खाते की है। खतियानी रैयत का नाम–राम मुण्डारी पेशरान–जाटा मुण्डारी वो सनी मुण्डारी वल्द देवनाथ मुण्डारी वगैरह है। पंजी–।। के अनुसार रैयत का नाम मो0 सुबद्र वो डोमन मुण्डा है।

(ख) उपरोक्त भूमि के विक्रय के उपरांत आवेदक के पास 5.00 एकड़ भूमि बच जाती है।

(ग) आवेदक को मकान मरम्मति करने के लिए वह 9,000/–(नौ हजार) रूपये प्रति डीसमील की दर से कुल 4,50,000/–(चार लाख पचास हजार) रूपये में बिक्री करना चाहते हैं।

(घ) दोनो क्रेता एवं विक्रेता अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं, एवं एक ही थाना बुण्डू के निवासी हैं।

उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी ,बुण्डू ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत विक्रेता अर्जुन मुण्डा , पिता–स्व0 सोहराई मुण्डा को क्रेता अनिता नाग ,पति–श्री मान सिंह मुण्डा के हाथों प्रस्तावित भूमि के विक्रय करने की अनुमति देने की अनुशंसा की हैं।

न्यायालय के द्वारा दिनांक–07/10/2010 को निर्गत आम इस्तेहार का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हैं। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नहीं की हैं।

पुनः दिनांक–01/08/11 को विक्रेता एवं क्रेता का बयान न्यायालय में दर्ज किया गया। दिए गए बयान से भी जाँच प्रतिवेदन की पुष्टि होती हैं।

अतः अंचल अधिकारी ,बुण्डू की अनुशंसा एवं विक्रेता के बयान के आलोक में निम्नलिखित भूमि को विक्रेता अर्जुन मुण्डा , पिता–स्व0 सोहराई मुण्डा के द्वारा क्रेता अनिता नाग ,पति–श्री मान सिंह मुण्डा के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत दी जाती हैं। आदेश दिया जाता हैं कि प्रस्वावित भूमि सरकार द्वारा निर्धारित दर पर निम्नलिखित भूमि की बिक्री करें।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना	थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
ताऊ	बुण्डू	28	67	1628	0.50 ए0

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बुण्डू राँची ।

1/8/11

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
बुण्डू राँची ।

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2022.07.22 16:36:05 +05:30
Location: 192.168.225.27